उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका संख्या–649 वर्ष 2021

रमेश सिंह भण्डारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रतिउत्तरदाता

रिट याचिका संख्या–2288 वर्ष 2019

रणवीर सिंह राणा व अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित अधिवक्तागण।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्री वी0बी0एस0 नेगी (वरिष्ठ अधिवक्ता)
श्री आयूष नेगी

प्रतिउत्तरदाता की ओर से : इंदू शर्मा

माननीय रविन्द्र मैठाणी, न्यायाधीश

चूंकि इन दोनों याचिकाओं में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उनका निर्णय इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में, उनमें से दो को सहायक शिक्षक (सी0टी0 गेड) के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) पद पर आमेलन के पात्र हैं। जब याचिकाकर्ताओं को समाहित नहीं किया गया, तो उनमें से कुछ ने इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की, जिसके अनुसार, अधिकारियों द्वारा मामले पर फिर से विचार किया गया और आक्षेपित आदेश के अनुसार, नियमों का लाभ उठाया गया, जिसके द्वारा उन्हें समाहित किया जा सकता था। उन्हें इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि वे उनके अवशोषण के लिए पात्र नहीं है। दिनांक 24.06. 2019 के आक्षेपित आदेश में, नियम 8(6) के साथ पठित नियम 16(3) उत्तरांचल अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग) सेवा नियम, 2006 (संक्षेप में '2006 नियम') का संदर्भ दिया गया है। याचिकाकर्ता निर्देश चाहते हैं कि ताकि याचिकाकर्ताओं के कनिष्ठों को पदोननत किए जाने की तारीख से सहायक शिक्षक, एलटी ग्रेड (शारीरिक

शिक्षा) के पद पर अवशोषण के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें लाभ देने से इन्कार करने वाले विवादित आदेश को भी अपास्त करने की मांग की है।

3. राज्य ने जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है। संक्षेप में राज्य ने जो कहा है वह यह है कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) के पद पर अपने अवशोषण के लिए पात्र नहीं हैं। अपने पूरक जवाबी हल्फनामें में राज्य ने 2006 के नियमों के नियम 8(6) और नियम 16(3) का भी उल्लेख किया है। राज्य के अनुसार सहायक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा (एलटी ग्रेड) के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास बी.पी.एड. डिग्री होना चाहिए, जो आवश्यक है। 2006 के नियमों के 16 उप नियम(3) के तहत प्रदान की गई छूट अन्य विषयों के शिक्षकों के लिए लागू है, लेकिन यह शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

5. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि बिना किसी कारण के याचिकाकत्रओं को अवशोषण से वंचित कर दिया गया है, जिसके वे 2006 के नियमों के नियम 16 उप नियम(3) के प्रावधानानुसार अधिकारी हैं।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वास्तव में सीटी कैडर को एक मृत कैडर घोषित किया गया है और सीटी ग्रेड के सभी शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में एलटी ग्रेड में समाहित किया जाना था। चूंकि शारीरिक शिक्षा में सहायक शिक्षक (सीटी ग्रेड) के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता बी.ए. और सीपीएड थी, इसलिए ऐसे शिक्षकों को सहायक शिक्षक (एलटी) के पद पर समाहित करने में होने वाली किसी भी विसंगति को दूर किया जा सकता है। 2006 के नियमों के नियम 16 उपनियम (3) में एक प्रावधान किया गया है , जिससे ऐसे उम्मीदवारों को उसमें निर्धारित परिणामों के साथ तीन साल के भीतर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह भी तर्क दिया गया कि वास्तव में, कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड में समान स्थिति वाले शिक्षकों को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया है। जिस कारण प्रस्तुत याचिका दाखिल की गई है।

7. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि

i. याचिकाकर्तागण नियमावली 2006 के नियम 16(3) के साथ पठित नियम 8(6) के दृष्टिगत सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के पद पर उनकी नियुक्ति/अवशोषण के लिए योग्य नहीं हैं। इस संबंध में विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि 16(3) का लाभ हिन्दी, अंग्रेजी,

संस्कृत, उर्दू, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य जैसे विषयों के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह शारीरिक शिक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है।

ii. याचिकाकर्तागण द्वारा 2006 के नियमों को चुनौती नहीं दी गई है अत : याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

8. 2006 के नियम के नियम 8 में विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रदान की गई है और क्रमांक 6 पर सहायक मास्टर/सहायक मिस्ट्रेस (शारीरिक शिक्षा) के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रदान की गई। इसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता हैः–

i. भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री

ii. भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी.पी.एड. या बी.पी.एड के समकक्ष परिभाषित डिग्री।

9. 2006 की नियमावली के नियम 16 में समायोजन/पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया का प्रावधान है और समायोजन द्वारा यह भर्ती नियम 16(1) के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों, सहायक अध्यापकों जूनियर हाई स्कूलों और सहायक अध्यापकों, मार्डन स्कूल सरकारी प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है।

10. नियम 16 उपनियम (3) यह प्रावधान करता हैः–

(3) पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण–पत्र अथवा एन.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात् के तीन वर्ष में प्राप्त नहीं किया जाता, तो अगली वेतनवृद्धि तभी तय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे।

11. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या राज्य शिक्षकों के दो समूहों के बीच भेदभाव कर रहा है, एक गढ़वाल मण्डल में और दूसरा कुमाउं मंडल में या क्या राज्य नियम 16(3) में लिखी बातों से परे पढ़ रहा है।

12. रिट याचिका (एस/एस) संख्या–2288 वर्ष 2019 के पैरा 15 में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदेश दिनांकित 01.06.2009 से कुमाउं मण्डल में जिन शिक्षकों के पास सी.पी.एड. डिप्लोमा था, उनको एलटी ग्रेड में समाहित कर दिया गया है। आश्यर्च की बात है कि राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 13 में इस कथन का खंडन नहीं किया गया है। राज्य ने जो कहा है वह यह है कि रिट याचिका

के पैरा 15 की सामग्री पर उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

13. बहस के दौरान, न्यायालय द्वारा राज्य के विद्वान अधिवक्ता से जानना चाहा है कि वे नियम 16(3) में विषयों को कैसे पढ़ सकते हैं ? यह कैसे कहा जा सकता है कि 2006 के नियमों को उपनियम (3) हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य जैसे विषयों पर लागू है और शारीरिक शिक्षा पर नहीं ? इसका कोई जवाब नहीं आया। विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा बार–बार यह कथन किया गया है कि निर्देशों के अनुसार, नियम 16 उपनियम (3) शारीरिक शिक्षा पर लागू नहीं होता है।

14. उपनियम (3) के नियम 16 को पढ़ने से पता चलता है कि वास्तव में यह ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होता है कि जो पदोन्नति द्वारा भर्ती किए जाते हैं और जिनके पास अपने पदोन्नति पदों के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी और यह आवश्यक है कि उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए अन्यथा अगली वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब वे उपरोक्तानुसार प्रमाणपत्र या डिग्री प्राप्त कर लेंगे। उन विषयों की कोई सूची नहीं है, जिन पर 2006 के नियमों के उपनियम (3) का नियम 16 लागू होगा। यह निश्चित रूप से सभी विषयों पर लागू होगा। इसमें निश्चित रूप से सहायक शिक्षक(शारीरिक शिक्षा) शामिल हैं।

15. इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर इस कारण के विचार न करना कि शारीरिक शिक्षा विषय 2006 के नियमों के उप नियम (3) के दायरे में नहीं आता है, आधारहीन है।

16. राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि 2006 के नियमों को चुनौती नहीं दी गई है इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। 2006 के किसी भी नियम को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है। यह 2006 के नियम 16(3) की गुणदोष विवेचना का मामला है। उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार 2006 के नियमों का नियम 16(3) सभी विषयों पर लागू होता है। इसलिए उक्त बलहीन है।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में इस न्यायालय के मत में है कि विवादित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

18. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

19. दिनांक 24.06.2019 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता उस दिनांक से सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के पद पर पदोन्नति/समायोजन के अधिकारी हैं, जिस दिनांक से उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई है। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के मामले पर तद्नुसार विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

(रविद्र मैठाणी, न्यायाधीश)
दिनांक 15.09.2021